

2024
25.11.2024

फर्द अहकाम

2024/332

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
सावत्री बनाम कृष्णा आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

प्रकरण संख्या 61 वर्ष 2024

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.04.2024	<p>प्रार्थीया सावत्री की तरफ से वकील श्री रामनाथ भाटी, दुलीचन्द अठवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण चक 7 एएम के प.नं. 188/40(13) कि.नं. 5/1, 6/1, 7/1, 14 ता 17, 24/1, 25/2, प. नं. 188/47(2) कि.नं. 21/2 व प.नं. 188/48(12) कि.नं. 1 ता 15, 19, 20 की कुल 6.107 है. में से विजय पुत्र नागरदास के नाम दर्ज 29843/293136 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोडा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.05.2024 को पेश हो।</p>	
28.05.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह अजयवर्मा पत्रावली 21 पत्रावली गस्त 26.7.2024 दिनक क पेश हो</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>
26.7.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह अजयवर्मा पत्रावली 21 पत्रावली गस्त 26.7.2024 दिनक क पेश हो</p>	
7.10.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह अजयवर्मा पत्रावली 21 पत्रावली गस्त 26.7.2024 दिनक क पेश हो</p>	
25.11.2024	<p>वकील प्रार्थी ने पार्वना-फर मिवाल पेथी पेश करे पर पत्रावली को पेथी में लिया गइ। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि एड पार्वना-फर अणे नही चलाना चाडरे ही बंधुध रिपारि में बाकीज करवाना चाडरे ही। एड पार्वना-फर भौसुदा रिपारि में बाकीज रिपारि जरुरा ही। पत्रावली नम्बर के अफ कीजाकर आउ नरकीज नरकीज जाएर काउलर करत हो।</p>	<p>प्रकरण को पेश किया गया फर्द FBI 25/11/24 I by me Fth</p>